259

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्रमांक .... नि0-1731-I-16 सन् 2016

पन्नालाल तनय श्री नत्थू सिंह यादव
निवासी फौजदार मुहल्ला राजनगर
तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म0प्र0)——————निगरानीकर्ता

बनाम

1. खर्रोही वाली उर्फ बसंतिया वेवा हरदसवा अहिरवार
निवासी ग्राम गोरा तहसील राजनगर
2. महेश पाठक तनय श्री राधाचरण पाठक
निवासी ग्राम खर्रोही तहसील राजनगर
दौनों जिला छतरपुर (म0प्र0) ——————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 110/अ–6/2013–14 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2015 से परिवेदित होकर ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू–रा.सं 1959।

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि निगरानी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम गोरा की भूमि खसरा नं0 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697 कुल किता 15 कुल रकवा 4.120 हे0 मेसे हिस्सा 1/8 रकवा 0.515 हे0 का खाता एवं खसरा नं0 1950 मेसे रकवा 0.293 हे0 अर्थात कुल रकवा 0.808 हे0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 27.03.2014 को अनावेदकगणों से मुब0 500000/– (पांच लाख रूपये) में क्रय की गई थी तथा रूबरू गवांहों के समक्ष संपूर्ण रकम की अदायगी एक मुश्त विक्रेता अनावेदकगणों को प्रदाय की गई थी ।
2. यह कि कंडिका एक में दर्शित भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन तहसीलदार महोदय राजनगर जिसे अब आगे सुविधा की दृष्टि से योग्य अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जावेगा के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया । जिसे प्रकरण

क्रमशः//2//

पन्नालाल

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1731/I/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्र. 110/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दि. 16–07–2015 के विरूद्व म०प्र० भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 27.03.14 का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा क्रयशुदा भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर आपत्तिकर्ता द्वारा इश्तगासा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का आधार लेते हुए तहसीलदार राजनगर द्वारा कार्यवाही समाप्त की है। पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई भी स्थगन एवं आदेश पारित नहीं किया गया है। इस कारण आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के विधि मान्यता की जॉच की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। उन्हें मात्र विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण करना चाहिए से सहमत होते हुए प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.15 निरस्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 27.03.14 में दर्शित भूमि पर विक्रेता के स्थान पर क्रेता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये। आदेश की प्रति तहसीलदार राजनगर को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.